खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3201
07अगस्त, 2025 को उत्तर देने के लिए

पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत लाभार्थी

3201. श्री बलवंत बसवंत वानखड़े:
डॉ. अमर सिंहः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि.

(क) प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) योजना के अंतर्गत वर्ष 2020 से 30 जून 2025 तक कुल लाभार्थियों की संख्या वर्ष-वार कितनी है;
(ख) योजना के अंतर्गत प्राप्त समीक्षाधीन और लंबित आवेदनों की वर्ष-वार और राज्य-वार संख्या कितनी है;
(ग) वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत ऋण-लिंक्ड सब्सिडी के माध्यम से कुल कितना धन संवितरण किया गया; और
(घ) इस योजना के अंतर्गत महिलाओं द्वारा संचालित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की संख्या राज्य-वार कितनी है और की गई/कार्यान्वित की गई महिला-केंद्रित पहलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

क) प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के तहत 2020 से 30 जून, 2025 तक सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के लिए 1,44,517 ऋण और 3,48,907 एसएचजी सदस्यों के लिए प्रारम्भिक पूंजी सहायता स्वीकृत की गई है। वर्ष -वार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है ।

ख) पीएमएफएमई योजना के क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी घटक के तहत 3,76,289 आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें से 30 जून 2025 तक 60,740 आवेदन जिला और बैंक स्तर पर लंबित हैं। वर्षवार और राज्यवार विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है ।

ग) वित्त वर्ष 2020-2021 से 2024-2025 के दौरान पीएमएफएमई योजना की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी घटक के अंतर्गत 30 जून 2025 तक कुल 2465.81 करोड़ रुपये की सब्सिडी वितरित की गई है।

घ) 30 जून, 2025 तक देश में नए सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी हेतु महिला उद्यमियों को 63,320 ऋण स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 30 जून, 2025 तक 3,48,907 महिला एसएचजी सदस्यों के लिए प्रारम्भिक पूंजी सहायता स्वीकृत की गई है। राज्यवार विवरण **अनुबंध-III** में दिया गया है ।

****

अनुबंध- I

दिनांक 07.08.2025 को उत्तर हेतु "पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत लाभार्थी" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3201 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

30 जून 2025 तक पीएमएफएमई के तहत स्वीकृत ऋणों और स्वीकृत प्रारम्भिक पूंजी का वर्षवार विवरण

वित्तीय वर्ष	स्वीकृत ऋण (सं.)	स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को प्रारम्भिक पूंजी स्वीकृत (सं.)
2020-2021	0	103
2021-2022	3218	44,429
2022-2023	28492	79,440
2023-2024	54594	1,44,435
2024-2025	50875	1,03,201
2025-2026	7338	7,432
कुल योग	**144517**	**3,48,907**

अनुबंध- II

दिनांक 07.08.2025 को उत्तर हेतु "पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत लाभार्थी" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3201 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

30 जून 2025 तक पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत प्रस्तुत और बैंक और जिला स्तर पर लंबित आवेदनों का वर्षवार और राज्यवार विवरण

		2020-2021		2021-2022		2022-2023		2023-2024		2024-2025		2025-2026		कुल योग	
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रस्तुत	लंबित	प्रस्तुत	लंबित	प्रस्तुत	लंबित	प्रस्तुत	लंबित	प्रस्तुत	लंबित	प्रस्तुत	लंबित	प्रस्तुत	लंबित
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	0	14	3	21	13	13	6	2	2	1	1	52	25
2	आंध्र प्रदेश	354	0	1756	125	4574	409	3981	497	2660	704	912	866	14237	2614
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	42	1	165	0	145	7	211	53	42	59	605	120
4	असम	0	0	534	8	7235	584	5085	850	7190	1455	861	1010	20905	3908
5	बिहार	2	0	370	5	13271	735	29431	2389	26908	3242	7722	5935	77704	12306
6	चंडीगढ़	5	0	4	1	1	0	5	4	2	3		0	17	8
7	छत्तीसगढ	24	0	202	2	736	13	976	96	1084	261	445	415	3467	787
8	दादर नगर हवेली एवं दमन एवं दीव	2	0		0	5	0	7	1	6	1	2	2	22	4
9	दिल्ली	8	0	158	2	304	5	407	48	270	77	77	70	1224	202
10	गोवा	2	0	10	1	58	2	42	1	54	4	11	9	177	17
11	गुजरात	0	0	159	4	265	41	735	63	604	147	207	209	1970	464
12	हरियाणा	44	0	480	2	838	8	1369	116	813	247	338	328	3882	701
13	हिमाचल प्रदेश	5	0	332	1	928	2	832	17	671	39	402	333	3170	392
14	जम्मू और कश्मीर	86	0	197	0	438	2	926	25	1118	236	524	476	3289	739
15	झारखंड	1	0	3	0	1205	9	5438	187	4949	544	995	907	12591	1647
16	कर्नाटक	230	0	737	4	3098	36	3945	204	4322	482	1340	1340	13672	2068
17	केरल	6	0	227	0	1180	1	2939	61	3785	428	839	667	8976	1157
18	लद्दाख	0	0	35	0	46	2	55	1	41	6	2	5	179	14
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
20	मध्य प्रदेश	106	2	1475	41	4977	129	7290	366	13448	2137	2033	2203	29329	4879
21	महाराष्ट्र	96	0	2993	68	17236	410	20925	1465	17311	4236	2516	2655	61077	8839
22	मणिपुर	1	0	1606	209	365	168	94	29	145	80	24	45	2235	494
23	मेघालय	0	0	38	2	50	3	282	23	221	17	61	60	652	105
24	मिजोरम	0	0	1	0	22	0	37	2	38	18	13	11	111	31

25	नागालैंड	0	0	181	2	158	9	503	72	356	130	91	111	1289	327
26	ओडिशा	324	0	1015	11	1720	26	2887	271	2130	540	594	670	8670	1520
27	पुदुचेरी	0	0	56	0	158	3	114	13	115	31	19	20	462	67
28	पंजाब	59	0	333	11	1187	14	1644	76	762	136	216	186	4201	423
29	राजस्थान	150	0	519	12	418	14	620	31	1219	262	374	373	3300	692
30	सिक्किम	3	0	27	3	63	3	58	22	19	12	7	7	177	48
31	तमिलनाडु	102	0	848	15	7783	311	14057	1040	6153	1770	1592	1608	30535	4744
32	तेलंगाना	191	0	883	14	9386	418	7332	1115	3024	1038	202	465	21018	3080
33	त्रिपुरा	5	0	60	1	127	15	233	20	264	63	77	74	766	174
34	उत्तर प्रदेश	32	0	1745	43	5330	54	13413	485	16454	1882	5264	4577	42238	7041
35	उत्तराखंड	0	0	120	4	728	24	1010	102	546	154	199	198	2603	482
36	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	186	21	943	243	357	356	1486	620
	कुल योग	1839	2	17160	595	84076	3463	127017	9727	117838	20680	28359	26251	376289	60740

अनुबंध-III

दिनांक 07.08.2025 को उत्तर हेतु "पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत लाभार्थी" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3201 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

30 जून, 2025 तक पीएमएफएमई योजना के तहत महिला उद्यमियों के लिए राज्यवार स्वीकृत ऋण और प्रारम्भिक पूंजी स्वीकृत

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	महिला उद्यमियों के लिए स्वीकृत ऋणों की संख्या	प्रारम्भिक पूंजी के लिए अनुमोदित एसएचजी सदस्यों की संख्या
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	7	110
2.	आंध्र प्रदेश	4485	32831
3.	अरुणाचल प्रदेश	75	2524
4.	असम	2677	29579
5.	बिहार	8595	24254
6.	चंडीगढ़	4	0
7.	छत्तीसगढ	386	10914
8.	दादर नगर हवेली एवं दमन एवं दीव	6	13
9.	दिल्ली	160	0
10.	गोवा	59	1361
11।	गुजरात	194	7185
12.	हरियाणा	378	1675
13.	हिमाचल प्रदेश	236	15602
14.	जम्मू और कश्मीर	360	879
15.	झारखंड	1338	6139
16.	कर्नाटक	3172	19042
17.	केरल	3469	6802
18.	लद्दाख	38	412
19.	लक्षद्वीप	0	0
20.	मध्य प्रदेश	2333	13733
21.	महाराष्ट्र	13446	48544
22.	मणिपुर	142	421
23.	मेघालय	133	4285
24.	मिजोरम	25	2641
25.	नागालैंड	253	3797
26.	ओडिशा	1179	28234
27.	पुदुचेरी	114	1552
28.	पंजाब	403	1407
29.	राजस्थान	324	5277
30.	सिक्किम	41	1275
31.	तमिलनाडु	8989	29542
32.	तेलंगाना	6378	23713
33.	त्रिपुरा	90	3426
34.	उत्तर प्रदेश	3537	8511
35.	उत्तराखंड	239	9349
36.	पश्चिम बंगाल	55	3878
	कुल योग	**63320**	**348907**